

मानदेयविषय सूची

| क्र० सं० | विषय   | शासनादेश संख्या/दिनांक                           | पृष्ठ संख्या |
|----------|--|--|--------------|
| 1.       | दिनांक 1.1.2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमानों के फलस्वरूप एक माह के वेतन के बराबर भुगतान किये गये मानदेय के अवशेष भुगतान के संबंध में | सं० 726/xxvii(7)/2010<br>दिनांक 14 अक्टूबर, 2010 | 251-252      |

प्रेषक,

राधा रतूडी,  
सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-07

देहरादून: दिनांक 14 अक्टूबर, 2010

विषय:—दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमानों के फलस्वरूप एक माह के वेतन के बराबर भुगतान किये गये मानदेय के अवशेष भुगतान के संबंध में।

महोदय,

विभिन्न विभागों में वाहन चालकों को वर्ष में 15 दिन/1माह के वेतन के समतुल्य मानदेय दिया गया है। शासन के समक्ष विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा यह जिज्ञासा की गई है कि ऐसे मामलों में दिनांक 1-1-2006 से वेतन समिति की संस्तुति के बाद वेतन पुनरीक्षित हो जाने के कारण क्या अपुनरीक्षित वेतनमानों में भुगतान किये जा चुके मानदेय के अवशेष का भी भुगतान किया जाएगा।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतनमान के पुनरीक्षण के फलस्वरूप मानदेय भुगतान के उक्त प्रकरणों में जहां एक निश्चित अवधि (वित्तीय वर्ष 2006-07 एवं 2007-08) के अपुनरीक्षित वेतन के समतुल्य वेतन के अनुरूप मानदेय भुगतान किया गया है। वहाँ अब पुनरीक्षित वेतन के समतुल्य वेतन का आंकलन करते हुए मानदेय का निर्धारण कर अवशेष मानदेय के भुगतान की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3— उक्त व्यवस्था समस्त राजकीय विभागों के उन प्रकरणों पर ही लागू होगी जहाँ मानदेय वेतन पुनरीक्षण के बाद अपुनरीक्षित वेतनमाना में वेतन की परिभाषा के अनुसार मानदेय अनुमन्य किया गया है और उन प्रकरणों पर यह लागू नहीं होगी जहाँ पर पूर्व में ही बिना स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा किये अपने स्तर से दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमानों में 01-वेतन की परिभाषा के अनुसार मानदेय का भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है। उक्त व्यवस्था के फलस्वरूप यदि किन्हीं विभागों के लिए पूर्व में अन्यथा व्यवस्था की गई है तो वो व्यवस्था उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

भवदीय


(राधा रतूडी)  
सचिव, वित्त



संख्या : 726 (1) / XXVII(7) / 2010 तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
7. सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से  
  
(शरद चन्द्र पाण्डेय)  
अपर सचिव ।